रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275388
CG-DL-E-12082026-275388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948
No. 654]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 718(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, ज्येष्ठ खतरनाक माल निरीक्षक और खतरनाक माल निरीक्षक समूह ‘क’ पद भर्ती नियम, 2020 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय में ज्येष्ठ खतरनाक माल निरीक्षक और खतरनाक माल निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,-

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, ज्येष्ठ खतरनाक माल निरीक्षक और खतरनाक माल निरीक्षक समूह ‘क’ पद भर्ती नियम, 2026 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना, - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा,जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि, - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता, – वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति, - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति, - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ज्येष्ठ खतरनाक माल निरीक्षक।	1 * (2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल-12 (78800-209200/- रु.)	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति,क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होगा।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700- 208700/- रु.) में खतरनाक माल निरीक्षक की नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में उक्त पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्याक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या क़ानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/- रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिसके पास निमंलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं, अर्थात्:- आवश्यक:- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री ; (ii) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) अथवा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) अथवा अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संगम (आईएटीए) द्वारा सम्यक अनुमोदित श्रेणी-6 खतरनाक माल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो। अनुभव:- निम्नानुसार कुल दस वर्ष का अनुभव :-	समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगें: (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (ii) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य (iii) महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(i) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्थान के खतरनाक माल अनुदेशक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; (ii) अनुसूचित प्रचालनों में एयर कार्गो को संभालने का पांच वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी; जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. खतरनाक माल निरीक्षक।	3 *(2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-11 (67700-208700/- रुपये)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	अनिवार्य:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। (ii) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) या अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) या अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संगम (आईएटीए)	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित कम-से-कम दो हफ़्ते का प्रवेश प्रशिक्षण आवश्यक होगा। प्रशिक्षण:- नवनियुक्त अधिकारियों को संगठन, उसके विज़न तथा मिशन की सामान्य	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

	द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित श्रेणी-6 खतरनाक माल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो। अनुभव:- अनुसूचित प्रचालनों में एयर कार्गो को सँभालने का पाँच वर्ष का अनुभव। वांछनीय अनुभव:- नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्थान के खतरनाक माल अनुदेशक के रूप में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहर्ताएं ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		जानकारी देने और उनके कार्य के लिए अपेक्षित कार्य निष्पादन की आवश्यक सक्षमता प्राप्त करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रारंभिक प्रवेश प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात, नव नियुक्त अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स, स्तर-10 (56100-177500/- रुपये) में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:- (i) महानिदेशक, नागर विमानन – अध्यक्ष; (ii) निदेशक या उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य; (iii) संयुक्त या उप महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय – सदस्य; (iii) निदेशक (वित्त या प्रशासन), नागर विमानन महानिदेशालय – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/15/2018-भर्ती अनुभाग]

हरीश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(Directorate General of Civil Aviation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2026

G.S.R. 718(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, Group 'A' posts of Senior Dangerous Goods Inspector and Dangerous Goods Inspector, Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Dangerous Goods Inspector and Dangerous Goods Inspector in the Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation, namely:

2. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, Senior Dangerous Goods Inspector and Dangerous Goods Inspector, (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application - These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age- limit and other qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether Selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Senior Dangerous Goods Inspector.	1 *(2026) * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800-209200/-).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Dangerous Goods Inspector in the level-11 (Rs. 67700-208700/-) of the pay matrix with five years of regular service in the grade rendered after appointment to the post and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by the competent authority from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are	Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; (ii) Secretary, Ministry of Civil Aviation - Member; (iii) Director General of Civil Aviation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions, - (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-11 (Rs. 67700-208700/-) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- Essential:- (i) A bachelors' degree in any discipline from a recognised University or Institute; (ii). having undergone a Category-6 Dangerous Goods training course duly approved by Directorate General of Civil Aviation (DGCA) or International Civil Aviation Organisation (ICAO) or International Air Transport Association (IATA). Experience:- Total experience of ten years as under: (i) five years' experience as Dangerous Goods Instructor of a training organisation approved by Directorate General of Civil Aviation.		

(ii) five years' experience in handling of air cargo in scheduled operations. Note 1: The Departmental Officers in feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Dangerous Goods Inspector.	3 *(2026) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700/-)	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding forty years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential:- (i) A Bachelors' degree in any discipline from a recognised University or Institute. (ii) having undergone a Category-6 Dangerous Goods training course duly approved by Directorate General of Civil Aviation (DGCA) or International Civil Aviation Organisation (ICAO) or International Air Transport Association (IATA).	Not applicable.	2 (Two) Years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government. Training:- The newly inducted officers shall be provided an induction	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on

	Experience:- Five years' experience in handling of air cargo in scheduled operations. Desirable Experience:- Two years' experience as Dangerous Goods Instructor of a training organisation approved by Directorate General of Civil Aviation. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		training for a period of minimum two weeks to enable officers to get a general understanding about the organisation, its vision and mission and acquire necessary competency required for performing their job. After completion of initial induction training, the newly inducted officers shall be provided on the job training to enable them to handle their responsibility independently.	regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in level-10 of the pay matrix (Rs. 56100-177500/-) in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 7.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director General of Civil Aviation - Chairperson; (ii) Director or Deputy Secretary, Ministry of Civil Aviation – Member; (iii) Joint or Deputy Director General of Civil Aviation – Member; (iv) Director (Finance or Administration), Directorate General of Civil Aviation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/15/2018-Recruitment Section]

HARISH KUMAR VASHISTH, Jt. Director General (JDG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.08.12 16:27:01 +05'30'